

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की 16वीं बैठक दिनांक 28 मार्च, 2022 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की 16वीं बैठक दिनांक 28 मार्च, 2022 को अपराह्न 12.00 बजे कुलपति सभाकक्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. डा० आर०के० मित्तल, कुलपति, | अध्यक्ष |
| 2. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक पेंशन एवं कोषागार,
मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)। | सदस्य |
| 3. डा० अमरनाथ मिश्र, संयुक्त कृषि निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ
(प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 4. डा० आर०के० गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)। | सदस्य |
| 5. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक | सदस्य |
| 6. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियन्त्रक | सदस्य सचिव |

सर्वप्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

डा० आर०के० मित्तल
कुलपति
सचिव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 16.1: वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 25 फरवरी, 2021 को सम्पन्न 15वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 16.2: वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा 15वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2021 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(कार्यवाई: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 16.3: वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट मात्र प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्यवाई: वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 16.4: वित्तीय वर्ष 2021–2022 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 का आय–व्ययक।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुमानित आय–व्ययक पर मात्र प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु निम्नवत संस्तुति की गयी।


लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, गोरोड–250110


डॉ. आर० कौ० मित्तल
कुलपति
सूच.प. कृषि एवं प्रौ.विभ., न.उ०

आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2022-23

क्रम सं०	विभिन्न प्राप्तियां एवं व्यय	वास्तविक आंकडे 2020-21	आय-व्ययक अनुमान 2021-22	पुनरीक्षित अनुमान 2021-22	आय-व्ययक अनुमान 2022-23
1	राजस्व प्राप्तियां	13340.09	23577.02	17083.54	22499.35
2	पूँजीगत प्राप्तियां	520.77	7460.05	348.00	8109.05
3	योग (1+2)	13860.86	31037.07	17431.54	30608.40
4	राजस्व व्यय	11772.77	23424.77	17002.33	22412.07
5	पूँजीगत व्यय	520.77	7460.05	348.00	8109.05
6	योग (4+5)	12293.54	30884.82	17350.33	30521.12

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

- डा० अमरनाथ मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर रक्षित वाहन (कार/जीप) का शासन के शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्यालय की भाँति सम्बन्धित कार्मिक से शुल्क वसूली किया जाना उपयुक्त होगा। जिसपर मा० कुलपति जी द्वारा आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में मा० सदस्यों को आश्वस्त किया गया।

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

- डा० अमरनाथ मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा विश्वविद्यालय में बहुतायत संख्या में भवनों/छात्रावासों/अन्य के दृष्टिगत सिविल/मैकेनिकल/इलैक्ट्रिकल कैडर के अभियंता स्तर के कार्मिकों की नियुक्ति हेतु सुझाव दिया गया। जिसपर मा० कुलपति जी द्वारा मा० सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि इस सम्बन्ध में शासन स्तर से प्रयास किया जायेगा।

(कार्रवाई: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

 लक्ष्मी मिश्रा

वित्त नियंत्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

-3-


डा० आर० के० मित्तल
दुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौद्योगिकी, मेरठ

3. वित्त समिति के सदस्यों द्वारा आय-व्ययक अनुमान 2022-23 के अन्तर्गत किसान मेले हेतु आय एवं व्यय में ₹0 15.00-15.00 लाख की धनराशि आवंटन करने के लिए आवश्यक संशोधन करते हुए आय-व्ययक में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके अन्तर्गत आय एवं व्यय शिक्षण मद में सम्मिलित किया जायेगा।

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 16.5: कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में निदेशकगण, अधिष्ठातागण एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारियों की भाँति प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय एवं पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विभाग में स्थित विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों को वित्तीय अधिकार प्रानिधानित करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० प्रबन्ध परिषद की 27वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में वित्त नियन्त्रक के कार्यालय आदेश संख्या सवप/2014/वि०नि०/2369 दिनांक 29 जुलाई, 2014 द्वारा निदेशकगण, अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्षों एवं विभिन्न प्रभारी अधिकारियों को वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये थे।

अतः उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय को कार्यालय आदेश संख्या सवप/2014/ वि०नि०/ 2369 दिनांक 29 जुलाई, 2014 के क्रम संख्या-02 पर इंगित विभागाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारी, शोध केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्रों की भाँति एक बार में ₹0 10000/- के साथ सम्पूर्ण वर्ष में ₹0 100000/- की सीमा तक वित्तीय अधिकार प्रानिधानित करते हुए पशुविज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के भिन्न-भिन्न ऐसे विभाग, जहां पर विभागाध्यक्ष उपलब्ध नहीं हैं एवं विभाग के कार्यों को प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। इन प्रभारी अधिकारियों को उपर्युक्त कार्यालय आदेश के क्रम संख्या-01 पर इंगित परियोजना अन्वेषक की भाँति एक बार में ₹0

5000/- के साथ सम्पूर्ण एक वित्तीय वर्ष में ₹ 0 50000/- तक की सीमा तक वित्तीय अधिकार प्रानिधानित किये जाने हेतु मा० प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 16.6: विश्वविद्यालय के चिरोड़ी फार्म पर सीड स्टोरेज गोदाम के निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा निर्गत धनराशि ₹ 0 52.50 लाख के अतिरिक्त ₹ 0 22.24 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय के शिक्षण/फार्म/सामान्य मद से दिये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 1631376/67—कृषिअ—21—1099/525/ 2019 दिनांक 20.05.2021 के माध्यम से कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अन्तर्गत स्थित चिरोड़ी फार्म प्रक्षेत्र के ब्लॉक—अ पर बीज उत्पादन हेतु Creation of seed infrastructure facilities के अन्तर्गत SSG (Ventilated Flat Roof) की स्थापना हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त धनराशि ₹ 0 52.50 लाख से निर्माण कार्य कराने हेतु उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० (पैकफेड) को नामित किया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव में प्रभारी अधिकारी, निर्माण द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित प्रारंभिक अनुमानित लागत ₹ 0 74.74 लाख की धनराशि का आगणन प्रस्तुत किया है।

अतः विश्वविद्यालय के चिरोड़ी फार्म पर सीड स्टोरेज गोदाम के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार के कृषि कल्याण एवं किसान कल्याण द्वारा निर्गत धनराशि ₹ 0 52.50 लाख के अतिरिक्त ₹ 0 22.24 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय के फार्म मद/शिक्षण मद अथवा शासन से प्राप्त सामान्य अनुदान से व्यय करने हेतु वित्त

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

समिति के सदस्यों द्वारा मा० प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाई: वित्त नियन्त्रक / प्रभारी अधिकारी,
निर्माण / महाप्रबन्धक, फार्म)

अन्त में सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।


28.03.22

(लक्ष्मी मिश्रा)

वित्त नियन्त्रक / सचिव, वित्त समिति
लक्ष्मी मिश्रा

वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, गेरठ-250110

अनुमोदित


28.03.22
(डॉ आर० क० मित्रल)

कुलपति / अध्यक्ष

डॉ आर० क० मित्रल

कुलपति

सूबा. कृषि एवं प्रौद्योगिक, नेहरू